फर्द अहकाम
( नियम 26)

# अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

शिबु गरूवा          बनाम          मुन्शीराम

किस्म मुकदमा , 53 ,88 ,188, आर.टी.एक्ट.          नम्बर 462 सन–2021

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज | नम्बर व तारिख |
|---|---|---|
| 09.04.2021 | वादी की ओर से वाद पत्र जरिये अभिभाषक पेश हुआ जिस पर रिपोर्ट सीगेदार हो चुकी है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रड सम्मन/सम्मन से तलब किया जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 03.06.2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | |
| 3.6.21 | पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब अवकाश ... के कारण ... है पत्रावली दि0 11.8.21 को पेश हो। | |
| 11/8/21 | वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी की ओर से ... अधिवक्ता ... वकालतनामा पेश कर वादी ... की स्वीकार पर ... पेश किया शामिल मिसल किया ... वास्ते जवाब हेतु दिनांक 1/9/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | |
| 1/9/21 | पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब अवकाश ... पत्रावली दि0 22/11/21 को पेश हो। | |
| 22/11/21 | पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2021 हेतु तलबानावास्ते ... में पेश हुई राजीनामा/... पूर्व में पेश साक्ष्य सबूत/दस्तावेज/ ... पत्रावली दिनांक 17/2/22 को पेश हो। | |
| 17/2/22 | ... उपस्थित जवाब हेतु समय चाहा पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 8/3/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | |
| 8/3/22 | ... उपस्थित ... जवाब पेश किया पत्रावली ... हेतु दि 25/3/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | |

Scanned with CamScanner

25/3/22 पत्रावली पक्षकार उपस्थित साक्ष्य वादी में शपथपत्र पेश हो वादी ने पत्रावली वास्ते बहस सुनवाई को 5/4/22 को पेश हो।

5/4/22 पत्रावली पक्षकार उपस्थित बहस हेतु समय चाहा पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 22/4/22 को पेश हो।

22/6/22 पत्रावली पक्षकार उपस्थित बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 2/5/22 को पेश हो।

2/5/22 पत्रावली पक्षकार उपस्थित आज वादी आपसी सहमति समझौता के आधार पर आदेश होने के कारण डिक्री विधि अनुसार हो विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल मिसल किया पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 462 सन 2021

अनवान :–

1. शिबु गरूवा पुत्र मुन्शीराम जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मुन्शीराम पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ललानबास उतरादा तहसील नोहर।
2. रामनिवास पुत्र मुन्शीराम जाति जाट साकिन ललानबास उतरादा तहसील नोहर।
3. पालाराम पुत्र मुन्शीराम जाति जाट साकिन ललानबास उतरादा तहसील नोहर।
4. बलवीर पुत्र मुन्शीराम जाति जाट साकिन ललानबास उतरादा तहसील नोहर।
5. शकुन्तला पुत्री मुन्शीराम जाति जाट साकिन ललानबास उतरादा तहसील नोहर।
6. सावित्री पुत्री मनफुल जाति जाट साकिन ललानबास उतरादा तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

**निर्णय दिनांक :–** 2/5/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 187/178 की कुल 8.7260हैक एवं रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 186/177 की कुल 9.3200हैक में से 1/5 हिस्सा एवं रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 130/141 की कुल 16.6400हैक में से 2/10 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मनफुल वल्द सुरजाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मनफुल वल्द सुरजाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मनफुल वल्द सुरजाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहने है प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मनफुल वल्द सुरजाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 187/178 की कुल 8.7260हैक एवं रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 186/177 की कुल 9.3200हैक में से 1/5 हिस्सा एवं रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 130/141 की कुल 16.6400हैक में से 2/10 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मनफुल वल्द सुरजाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मनफुल वल्द सुरजाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मनफुल वल्द सुरजाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहने है प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 187/178 की कुल 8.7260हैक एवं रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 186/177 की कुल 9.3200हैक में से 1/5 हिस्सा एवं रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 130/141 की कुल 16.6400हैक में से 2/10 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नाहर

Scanned with CamScanner

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि मनफुल वल्द सुरजाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मनफुल वल्द सुरजाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा मनफुल वल्द सुरजाराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 187/178 की कुल 8.7260हैक एवं रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 186/177 की कुल 9.3200हैक में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 130/141 की कुल 16.6400हैक में से 2/10 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 02/05/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :–

1. शिबु गरूवा पुत्र मुन्शीराम जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मुन्शीराम पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ललानबास उतरादा तहसील नोहर।
2. रामनिवास पुत्र मुन्शीराम जाति जाट साकिन ललानबास उतरादा तहसील नोहर।
3. पालाराम पुत्र मुन्शीराम जाति जाट साकिन ललानबास उतरादा तहसील नोहर।
4. बलवीर पुत्र मुन्शीराम जाति जाट साकिन ललानबास उतरादा तहसील नोहर।
5. शकुन्तला पुत्री मुन्शीराम जाति जाट साकिन ललानबास उतरादा तहसील नोहर।
6. सावित्री पुत्री मनफुल जाति जाट साकिन ललानबास उतरादा तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 462 सन 2021 निर्णय दिनांक–** 02/05/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 187/178 की कुल 8.7260हैक एवं रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 186/177 की कुल 9.3200हैक में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 130/141 की कुल 16.6400हैक में से 2/10 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner